भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ***तारांकित प्रश्न सं. 62**

दिनांक 26 जून, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

अमेरिका द्वारा जीएसपी वापस लिया जाना

* 62. श्री एम॰के॰ राघवनः

श्री दीपक बैजः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने जनरालाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफ्रेन्स (जीएसपी) के एक लाभार्थी के रूप में भारत को चुनिंदा व्यापार सूची से निष्कासित कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ख) उक्त निष्कासन के कारण प्रभावित होने वाले संभावित उत्पादों और उनके मूल्यों (उत्पाद–वार) का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निर्णय से देश के निर्यातकों को किस प्रकार और कितना नुकसान होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार उक्त व्यवस्था को पुनः आरंभ करने हेतु उच्चतम स्तर पर बातचीत कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अनुमानित राजस्व हानि कितनी है तथा देश की समग्र अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है और सरकार द्वारा लुप्त हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए अन्य क्या उपाय किये जा रहे है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

"अमेरिका द्वारा जीएसपी वापस लिया जाना" विषय पर लोक सभा में दिनांक 26.06.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 62 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) : जी हां । भारत ने कैलेंडर वर्ष 2018 के दौरान जीएसपी कार्यक्रम के तहत अमेरिका को 6.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसटीआर आंकड़ों के अनुसार) मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया जो वर्ष के दौरान अमेरिका को भारत के कुल निर्यात में 12.1 प्रतिशत का योगदान था।

(ख): 2018 के आंकड़ों के आधार पर जीएसपी लाभ प्राप्त करने वाले संभावित उत्पादों एवं उनके मूल्य का (उत्पादवार) ब्यौरा यूएसआईटीसी बेवसाईट पर उपलब्ध है।

(ग) : इसका प्रभाव प्रत्येक उत्पाद स्तर पर रियायतों के आधार पर अलग-अलग होगा जिसमें जीएसपी लाभों से 2018 में संयुक्त राज्य अमेरीका को भारत में निर्यात पर 3.8 प्रतिशत की औसत शुल्क रियायत और प्रत्येक उत्पाद के लिए अन्य विशिष्ट कारक शामिल हैं ।

(घ): व्यापार संबंधी मुद्दे किन्हीं भी चल रहे आर्थिक संबंधों का भाग होते हैं और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच नियमित द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के एक भाग के रूप में इन पर विचार- विमर्श और इनका समाधान किया जाता रहेगा ।

(ड.): वर्ष 2018 में जीएसपी के कारण शुल्क में कुल रियायत 240 मिलियन डॉलर थी जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जीएसपी लाभों को प्राप्त करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत के निर्यात का लगभग 3.8 प्रतिशत था। भारतीय उद्योग अपने निर्यात उत्पादों में प्रतिस्पर्धात्मक हैं और इसका हमारे व्यापार पर ज्यादा प्रभाव पड़ने का अनुमान नहीं है।

****